सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : छींतोली, कैम्प दिनांक 21.06.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 08/2017 दायर तारीख 20.02.2017

1. मोहनलाल
2. प्रेमचन्द
3. बाबूलाल
4. दाताराम

पुत्र सूण्डा

5. छोटी पत्नी सूण्डा
6. चन्दर
7. रामकरण

पुत्र छोटू

जाति गुर्जर निवासी जादू का बास तहसील विराटनगर

—— वादीगण

बनाम

1. दडकली पत्नी भंवरा
2. कबूल चन्द
3. राधेश्याम
4. हिरालाल

पुत्र भंवरा

जाति गुर्जर निवासी जादू का बास तहसील विराटनगर, जयपुर

5. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा गैर मुमकीन नाला सिवायचक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गणपतलाल पंसारी, अधिवक्ता वादीगण
श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रतिवादी सं० 1 से 4
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 21.06.2018

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जादू का बास के खाता संख्या 31 में दर्ज कुल किता 23 रकबा 6.99 हैक्टेयर वादीगण

की खातेदारी भूमि है, जिस पर बहिस्सानुसार वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण के खसरा नम्बर 116 के पास खाता संख्या 17 में दर्ज खसरा नम्बर 154/0.16 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 17 में दर्ज खसरा नम्बर 153/0.11 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण के उक्त खसरा नम्बर 153, 154 मौके पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, बल्कि आमरास्ता के रूप में पानी के बहने का नाला है, जो पूर्व से मौजूद है। वादीगण ने दिनांक 16.02.2017 को खसरा नम्बर 153, 154 का साबिक मिलान क्षेत्रफल व मिसल निकलवायी तब ज्ञान हुआ कि हाल खसरा नम्बर 153, 154 साबिक खसरा नम्बर 74 से बने है, जो साबिक रिकार्ड में नदी, नाले की भूमि थी, जो गैर मुमकीन नाला था, जिसका प्रतिवादीगण ने सैटिलमेंट वालों से मिलकर अपने नाम दर्ज करवाया है, जबकि मौके पर यह भूमि खातेदारी नहीं है। वादीगण उक्त खसरा नम्बर के पास ही अपनी खातेदारी भूमि में रहते है तथा कदीमी से इस खसरा नम्बरान को रास्ता के रूप में काम लेते है, इसलिए उक्त भूमि से वादीगण का सुखाधिकार जुडा हुआ है, जो 20 वर्षो से भी अधिक समय से है एवं वादीगण के अलावा जंगल के पशु व जादू का बास के आम व्यक्ति भी इस रास्ते से आवागमन करते है। इसलिए उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। अतः निवेदन है कि ग्राम जादू का बास के खाता संख्या 16, 17 में दर्ज खसरा नम्बर 154/0.16, 153/0.11 हैक्टेयर भूमि को अब्दूल रहमान प्रकरण में दर्ज करते हुए गैरमुमकीन नाजा सिवायचक घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण व आमजन के आवागमन में किसी प्रकार से बाधा कारित नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित रहे। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 4 संवत् 2016, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल भू–माप सन् 1980 ई., नकल जमाबन्दी खाता संख्या 16, 17 संवत् 2070–2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 31 संवत् 2070–2073 आदि पेश किये।

4. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने जवाब पेश कि हाल खसरा नम्बर 153, 154 प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है, जिसकी प्रतिवादीगण काश्त करते आ रहे हैं। उक्त भूमि आमरास्ता की भूमि नहीं है, न ही नालों की भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। हाल खसरा नम्बर 153/0.16 हैक्टेयर का साबिक खसरा नम्बर 73 मिन, 74 मिन रहा है, जो हाल सैटिलमेंट से पूर्व न्यायालय सहायक जिलाधीश विराटनगर के निर्णय दिनांक 09.05.1975 के निर्णय द्वारा खातेदार घोषित किया गया था एवं इसी आधार पर प्रतिवादीगण के बुजुर्ग को साबिक खसरा नम्बर 74 की खातेदारी मिली है। साबिक खसरा नम्बर 73 पहले से प्रतिवादीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है तथा खसरा नम्बर 74 रकबा 8 बिसवा भूमि की खातेदारी जरिए नामान्तकरण संख्या 16 संवत् 2033 में भंवरा के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है, तथा आज भी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 74 का सैटिलमेंट वालों से सही इन्द्राज किया है, उसे दुरूस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रतिवादीगण को साबिक खसरा नम्बर 74 की खातेदारी न्यायालय निर्णय दिनांक 09.05.1975 से मिली है, जिसको आज तक किसी भी न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है। यह भी कि वादीगण ने सुखाधिकार के आधार पर आमरास्ता की घोषणा का दावा पेश किया है एवं आमजनता के लिए पेश किया गया है, जो प्रतिनिधी वाद के रूप में ही पेश किया जा सकता है एवं उसके लिए सिविल न्यायालय को ही श्रवणाधिकार अर्जित होने से वाद राजस्व न्यायालय द्वारा सुनवाई किये जाने योग्य नहीं है। यह भी कि पूर्व में निर्णित वाद के खिलाफ पुनः दावा रेस ज्यूडीकेट की तारीफ में आने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि प्रस्तुत वाद मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।

5. प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति नकल निर्णय मिसल नम्बर 213 निर्णय दिनांक 09.05.1975, फोटोप्रति तहसीलदार विराटनगर को लिखे गये प्रार्थना पत्र बाबत कार्यवाही वसूली पैनल्टी की प्रति, फोटोप्रति मांगपत्र आदि पेश किये गये।
6. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट छींतोली में वास्ते सुनवाई पेश हुई। वादी संख्या 3 उपस्थित रहा, पैरोकार सरकार से जवाब लिया गया।
7. पैराकार सरकार का जवाब रहा कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 153/0.11 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 73 मिन व 74 मिन से बना है तथा हाल खसरा नम्बर 154/0.16 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 74 मिन से बनाया गया है। हाल खसरा नम्बर 153/0.11, 154/0.16 हैक्टेयर वर्ममान में दडकली वगैरह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान नाला के रूप में है। यह भी कि हाल खसरा नम्बर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

153/0.11, 154/0.16 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 74 साबिक रिकार्ड में गैरमुमकीन नाला दर्ज रहा है।

8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 16, 17 संवत् 2070—2073 आराजी खसरा नम्बर नम्बर 153/0.11, 154/0.16 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है, तथा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल उक्त हाल खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 73 मिन, 74 मिन व 74 से बने है। वादी का वाद में निवेदन रहा कि खसरा नम्बर 153, 154 मौके पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, बल्कि आमरास्ता के रूप में पानी के बहने का नाला है, जो पूर्व से मौजूद है। वादीगण के उक्त तथ्य की पुष्टि पैरोकार सरकार के जवाब से होती है कि साबिक खसरा नम्बर नम्बर 73 मिन, 74 मिन व 74 से हाल खसरा नम्बर 153, 154 बनाये गये हैं तथा साबिक खसरा नम्बर 74 साबिक रिकार्ड में गैरमुमकीन नाला के रूप में दर्ज रिकार्ड रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से पूर्णतः स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम न्यायालय निर्णय दिनांक 09.05.1975 से मिली है, जिसको आज तक किसी भी न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है, फिर भी साबिक रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बरान की किस्म गैरमुमकीन नाला दर्ज है, जो अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित है। अतः प्रकरण का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाना न्यायसंगत पाता हूॅ कि तहसीलदार विराटनगर सक्षम न्यायालय में प्रकरण का रेफरेन्स प्रस्तुत करें।

आदेश

वादी का वाद इस कदर निस्तारित किया जाता है कि तहसीलदार विराटनगर साबिक रिकार्ड अनुसार साबिक खसरा नम्बर 74 राजस्व रिकार्ड में नाला दर्ज होने से उक्त साबिक खसरा नम्बर से बने हाल खसरा नम्बरान का सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स तैयार कर प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार विराटनगर को मय तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें।

निर्णय मजमा—ए—आम कैम्प कोर्ट छींतोली दिनांक 21.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web copy - Not official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत छींतोली

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. मोहनलाल
2. प्रेमचन्द
3. बाबूलाल
4. दाताराम
   } पुत्र सूण्डा
5. छोटी पत्नी सूण्डा
6. चन्दर
7. रामकरण
   } पुत्र छोटू

} जाति गुर्जर निवासी जादू का बास तहसील विराटनगर

—– वादीगण

बनाम

1. दडकली पत्नी भंवरा
2. कबूल चन्द
3. राधेश्याम
4. हिरालाल
   } पुत्र भंवरा

} जाति गुर्जर निवासी जादू का बास तहसील विराटनगर, जयपुर

5. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—– प्रतिवादीगण

9. **मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या** 08/2017 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा गैरमुमकीन नाला सिवायचक एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री गणपतलाल पंसारी, एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम जादू का बास के खाता संख्या 16, 17 में दर्ज खसरा नम्बर 154/0.16, 153/0.11 हैक्टेयर भूमि को अब्दूल रहमान प्रकरण में दर्ज करते हुए गैरमुमकीन नाजा सिवायचक घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण व आमजन के आवागमन में किसी प्रकार से बाधा कारित नहीं करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कैम्प कोर्ट छींतोली में सुना गया। वादी का दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा गैरमुमकीन नाला सिवायचक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। आराजी खसरा नम्बर 153, 154 के साबिक खसरा नम्बर 74 साबिक रिकार्ड में गैरमुमकीन नाला दर्ज रिकार्ड रहा है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद इस कदर निस्तारित किया जाता है कि तहसीलदार विराटनगर साबिक रिकार्ड अनुसार साबिक खसरा नम्बर 74 राजस्व रिकार्ड में नाला दर्ज होने से उक्त साबिक खसरा नम्बर से बने हाल खसरा नम्बरान का सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स तैयार कर प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार विराटनगर को मय तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट छींतोली दिनांक 21.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 21.06.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर